GST Hindi update No 216 on Post audit and review of refunds already sanctioned.

आज के update में हम आपको CBIC द्वारा डिपार्टमेंट को दिए गए instruction no 03/2022 जो की दिनाँक 14 जून 2022 को जारी किया गया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह instruction डिपार्टमेंट ने जो refund claim पहले ही दे दिए है उन refunds की audit और review के सम्बन्ध में है। इस instruction की जानकारी इस प्रकार है :-

1. Refund Sanctioning Authority को एक speaking order GST RFD 06 जारी करना अनिवार्य होगा जिसमे GST कानून के अंतर्गत सारी जानकारी होनी चाहिए।

2. उस आर्डर में अलग अलग category के refunds की सभी आवशयक जानकारियां होनी चाहिए।

3. Post audit केवल उन्ही Refunds की होगी जिनका amount 1 लाख रुपयों से ज्यादा है।

4. Post audit RFD 06 issue होने के 3 महीने के अंदर ही हो जानी चाहिए और audit के पॉइंट्स review टीम को आगे की कार्यवाही के लिए देने है ।

5. Department को appeal फाइल करने के लिए order issue होने के बाद 6 महीनों का समय मिलता है इसलिए रिव्यु टीम को अपील फाइल होने की टाइम लिमिट से ३० दिन पहले ही रिव्यु समाप्त करना होगा।

6. इस ऑडिट और रिव्यु का उद्देश्य यह है कि यदि Refund ज्यादा या गलत पास किया गया है तो डिपार्टमेंट इस सम्बन्ध में अपील कर सकता है।

परन्तु अभी तक portal पर इस तरह का कोई feature नहीं आया है जिससे पता चल सके कि audit और review कैसे किया जायेगा? ऐसा पहले पुराने indirect tax regime के समय में होता था पर उस समय assessee सारे documents लगाकर Refund apply करता था तथा फाइल बना कर Department में जमा करवाता था। इससे review cell को सभी डॉक्यूमेंट जांचने में कोई भी तकलीफ नहीं होती थी।पर अब सारे Refund claim online लगाए जाते हैं परंतु यूपी कोई फैसिलिटी नहीं है। ऐसे में review करना कैसे संभव होगा? जीएसटी पोर्टल पर review cell के लिए new utility लानी पड़ेगी।